रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112025-267442
CG-DL-E-07112025-267442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947
No. 726]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 812(अ).—माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 87 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, कतिपय नियमों के मसौदे को, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सां.का.नि. 542 (अ) दिनांक 11 अगस्त, 2025 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां, आम लोगों को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से, तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम लोगों को 11 अगस्त, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और जबकि, उक्त मसौदा नियमों के संबंध में आम लोगों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

COMPLIANCE CALENDAR.IN
Simplifying Legalities & Fostering Governance

नियम

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- इन नियमों को माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. माल का भौगोलिक उपदर्शन (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 में, पहली अनुसूची की तालिका में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"पहली अनुसूची"

[नियम 10 (1) देखें]

प्रविष्टि की संख्या	किस मद हेतु देय होगा	राशि रुपए में	संबंधित प्रपत्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1क.	एक श्रेणी में शामिल वस्तुओं के लिए भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर [धारा 11(1); नियम 23(2) देखें]।	1000	जीआई-1
1ख.	किसी कन्वेंशन देश से एक श्रेणी में शामिल वस्तुओं के लिए भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर [धारा 11(1), 84(1); नियम 23(3) देखें]।	1000	जीआई-1
1ग.	विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के लिए भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु एक आवेदन करने पर [धारा 11(3); नियम 23(5) देखें]।	प्रत्येक श्रेणी के लिए 1000	जीआई-1
1घ.	किसी कन्वेंशन देश की विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के लिए भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण हेतु एक आवेदन करने पर [धारा 11(3), 84(1); नियम 23(4)]।	प्रत्येक श्रेणी के लिए 1000	जीआई -1
2क.	धारा 14(1) के तहत भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के विरोध या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के विरोध संबंधी नोटिस देने पर [धारा 17(3)(ङ) देखें]।	प्रत्येक श्रेणी के लिए 1000	जीआई -2
2ख.	विरोध संबंधी प्रत्येक आवेदन के लिए धारा 14(2) या 17(3)(ङ) के तहत विरोध के नोटिस के उत्तर में और प्रत्येक भौगोलिक उपदर्शन के संबंध में धारा 27 के तहत आवेदन के उत्तर में या धारा 29 के तहत विरोध के नोटिस के उत्तर में जवाबी कथन पर	1000	जीआई -2
2ग.	विरोध का नोटिस फाइल करने के लिए समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन करने पर [धारा 14(1), 17(3)(ङ), 29(2); नियम 41(5) देखें]।	300	जीआई -2
3क.	धारा 17, नियम 56(1) के तहत पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन के प्राधिकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण के लिए आवेदन पर।	10	जीआई -3
3ख.	प्राधिकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण के नवीकरण के लिए [धारा 18 की उप-धारा (2) और नियम 60 का उप-नियम (1)]	10	जीआई -3
4क.	पिछले पंजीकरण के समाप्त होने पर भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण की धारा 18(1) के तहत नवीकरण के लिए [नियम 60(1) देखें]।	500	जीआई -4
4ख.	भौगोलिक उपदर्शन या रजिस्टर से हटाए गए प्राधिकृत उपयोगकर्ता की बहाली के लिए धारा 18(5) के तहत आवेदन पर [नियम 63]।	1000 रुपए तथा नवीकरण के लिए लागू शुल्क	जीआई -4

4ग.	धारा 18(4) के परन्तुक के तहत नवीकरण के लिए आवेदन पर।	1000	जीआई -4
5क.	भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर या प्राधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा भारत में व्यवसाय करने के मुख्य स्थान या निवास स्थान के पते या गृह देश के पते में परिवर्तन के अनुरोध पर [धारा 28; नियम 69 देखें]।	जीआई आवेदन के मामले में 300 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में 30	जीआई -5
5ख.	भौगोलिक उपदर्शन के स्वामी के नाम या विवरण में परिवर्तन को रजिस्टर में दर्ज करने के अनुरोध पर।	300	जीआई -5
5ग.	किसी भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकृत स्वामी या प्राधिकृत उपयोगकर्ता के नाम, पते या विवरण में किसी त्रुटि में सुधार के अनुरोध पर [धारा 28 (क) देखें]	जीआई आवेदन के मामले में 300 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में 30	जीआई -5
5घ.	किसी प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने के लिए भाग ख में रजिस्टर में सुधार के लिए आवेदन पर [धारा 27; नियम 65 देखें]।	1000	जीआई -5
5ङ.	धारा 15 नियम 23(7) के परन्तुक के तहत किसी श्रेणी में वस्तुओं के वर्गीकरण पर या विभिन्न श्रेणियों में किसी भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन के वर्गीकरण पर।	1000	जीआई -5
5च.	एक श्रेणी के संबंध में नियम 22 के तहत पता लगाने के लिए।	500	जीआई -5
6क.	रजिस्टर में सुधार या भौगोलिक उपदर्शन को हटाने या रजिस्टर में दर्ज नियम 32(1) के तहत मामले के विवरण या रजिस्टर से प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने या बदलने के लिए धारा 27 के तहत आवेदन पर [नियम 65 देखें]।	1000	जीआई -6
6ख.	रजिस्टर में सुधार या रजिस्टर से किसी भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत उपयोगकर्ता को हटाने से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए आवेदन पर [नियम 67 और 80 (4) देखें]।	500	जीआई -6
7क.	रजिस्ट्रार के प्रमाण-पत्र संबंधी अनुरोध पर [धारा 69 या धारा 78(1) ; नियम 96] के तहत प्रमाण-पत्र को छोड़कर।	जीआई आवेदन के मामले में 300 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में 150	जीआई -7
7ख.	मामले के कथन के समर्थन में शपथ पत्र या अधिनियम या नियमों के तहत अपेक्षित अन्य दस्तावेज।	शून्य	जीआई -7
7ग.	अपीलीय बोर्ड की वैधता प्रमाण-पत्र के नोट को रजिस्टर में दर्ज करने और विज्ञापन देने के अनुरोध पर [नियम 99 देखें]।	200	जीआई -7
7घ.	रजिस्ट्रार के निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन पर।	500	जीआई -7
7ङ.	भौगोलिक उपदर्शन के विज्ञापन के विवरण के लिए रजिस्ट्रार से	100	जीआई -7

COMPLIANCE CALENDAR.IN
Simplifying Legalities & Fostering Governance

	अनुरोध करने पर।		
7च.	प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति या अतिरिक्त प्रति के लिए रजिस्ट्रार से अनुरोध करने पर।	जीआई आवेदन के मामले में 200 प्राधिकृत उपयोगकर्ता आवेदन के मामले में 40	जीआई -7
8क.	भौगोलिक उपदर्शन एजेंट के पंजीकरण के लिए आवेदन [नियम 107 देखें]।	1000	जीआई -8
8ख.	भौगोलिक उपदर्शन एजेंट के रूप में प्रमाण-पत्र जारी करने के अनुरोध पर [नियम 109 देखें]।	1000	जीआई -8
8ग.	नियम 110 के तहत भौगोलिक उपदर्शन एजेंट के रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम जारी रखने के लिए। (i) प्रत्येक वर्ष के लिए (पहले वर्ष को छोड़कर) प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को भुगतान किया जाएगा। (ii) पहले वर्ष के लिए, 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किसी भी समय पंजीकृत व्यक्ति के मामले में, पंजीकरण शुल्क सहित भुगतान किया जाएगा। **कृपया ध्यान दें:** इस प्रयोजन के लिए एक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।	1000	जीआई -8
8घ.	नियम 113 के तहत भौगोलिक उपदर्शन रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम पुनःडालने के लिए आवेदन पर।	1000 के साथ प्रविष्टि संख्या 8ग के तहत जारी रखने के लिए निर्धारित शुल्क	जीआई -8
9क.	कुछेक वस्तुओं को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन पर [धारा 22(2); नियम 77 देखें]।	12000	जीआई -9
9ख.	किसी पंजीकृत भौगोलिक उपदर्शन को शामिल करने या परिवर्तित करने की अनुमति के लिए आवेदन पर [ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां आवेदन किसी व्यक्ति या किसी लोक प्राधिकरण द्वारा या किसी सांविधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप किया गया हो, [धारा 29 देखें]।	300	जीआई -9
9ग.	ऐसी समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन पर, जिसके लिए अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किए गए हैं या नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है [नियम 83 देखें]।	300	जीआई -9
10क.	रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को रद्द करने या वस्तुओं को रजिस्टर से हटाने के लिए आवेदन पर। [धारा 28 (ग) या (घ) देखें]	300	जीआई -10
10ख.	अधिनियम के तहत किसी मामले या कार्यवाही में एजेंट का प्राधिकार संबंधी प्रपत्र [धारा 76; नियम 20 देखें]	शून्य	जीआई -10
11.	किसी विवाद संबंधी कार्यवाही में किसी भी मध्यस्थता वाले मामले पर रजिस्ट्रार का आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका पर (जो अन्यथा प्रभारित न हो)।	500	
12.	धारा 78(1) में उल्लिखित दस्तावेज की जांच करने के लिए- i. किसी विशेष भौगोलिक उपदर्शन या प्राधिकृत	100	

	उपयोगकर्ता के संबंध में, प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए; ii. प्रत्येक 15 मिनट के कंप्यूटर सर्च (उपलब्ध कराया जाए) के लिए; iii. धारा 78 में उल्लिखित सूचकांक का पता लगाने हेतु, प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए।	100 100	
13.	दस्तावेजों की प्रतिलिपि हेतु (फोटोकॉपी या टाइप किए गए) प्रत्येक पृष्ठ या एक पृष्ठ के अलावा उसके भाग के लिए।	10".	

[फा.सं. पी-24027/1/2023-आईपीआर-III]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

नोट: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176 (अ), तारीख 8 मार्च 2002 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार तारीख 26 अगस्त, 2020 की सा.का.नि. 528 (अ) के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

G.S.R. 812 (E)— Whereas the draft of certain rules, further to amend the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002 were published as required under sub-section (1) of section 87 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 (48 of 1999) (*hereinafter referred as "Act'*) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) vide number G.S.R. 542 (E), dated the 11th August 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,sub-section (i) inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 11th August 2025;

And whereas, the objection and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 87 of the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999, (48 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002, namely: -

RULES

1. Short title and commencement.: — (1) These rules may be called the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) (Amendment) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002, for the FIRST SCHEDULE, the following Schedule shall be substituted, namely: —

"THE FIRST SCHEDULE

[See rule 10(1)]

COMPLIANCE CALENDAR.IN®
Simplifying Legalities & Fostering Governance

No. of entry	On what payable	Amount in rupees	Corresponding Form Numbers
(1)	(2)	(3)	(4)
1A.	On application for the registration of a geographical indication for goods included in one class [See section 11(1), rule 23(2)].	1000	GI-1
1B.	On application for the registration of a geographical indication for goods included in one class from a convention country [See sections 11(1), 84(1), rule 23(3)].	1000	GI-1
1C.	On a single application for the registration of a geographical indication for goods in different classes [See section 11(3), rule 23(5)].	1000 for each class	GI-1
1D.	On a single application for the registration of a geographical indication for goods in different classes from a convention country [See sections 11(3), 84(1), rule 23(4)].	1000 for each class	GI-1
2A.	On a notice of opposition to the registration of a geographical indication under section 14(1) or an opposition to an authorised user [See section 17(3)(e)].	1000 for each class	GI-2
2B.	On a counter-statement in answer to a notice of opposition under section 14(2) or 17(3)(e) for each application opposed and in answer to an application under section 27 in respect of each geographical indication or in answer to a notice of opposition under section 29.	1000	GI-2
2C.	On application for extension of time for filing notice of opposition [See sections 14(1), 17(3)(e), 29(2), rule 41(5)].	300	GI-2
3A.	On application for the registration of an authorised user of a registered geographical indication under section 17, See rule 56(1).	10	GI-3
3B.	For renewal of an authorised user [sub-section (2) of section 18, sub- rule (1) of rule 60.	10	GI-3
4A.	For renewal under section 18(1) of the registration of a geographical indication at the expiration of the last registration [See rule 60(1)].	500	GI-4
4B.	On application under section 18(5) for restoration of geographical indication or an authorised user removed from the Register [see rule 63].	1000 plus applicable renewal fees	GI-4
4C.	On application for renewal under proviso to section 18(4).	1000	GI-4
5A.	On request for alteration of the address of the principal place of business or of residence in India or of the address in the home country abroad in the Register of Geographical Indications or authorised user [See section 28 rule 69].	300 in case of GI Application 30 in case of Authorised User Application	GI-5
5B.	On request to enter change in name or description of proprietor of geographical indication upon the Register.	300	GI-5
5C.	On request for correction of any error in the name, address or description of the registered proprietor or the authorised user of a geographical indication [See section 28(a)].	300 in case of GI Application 30 in case of	GI-5

		authorised user application	
5D.	On application for the rectification of the register in Part B for the removal of an authorised user [See section 27, rule 65].	1000	GI-5
5E.	On division of goods in a class or on division of an application made for registration of a geographical indication in different classes under proviso to section 15, rule 23(7).	1000	GI-5
5F.	For a search under rule 22 in respect of one class	500	GI-5
6A.	On application under section 27 for rectification of the register or removal of a geographical indication or expunge or vary the statement of the case under rule 32(1) recorded in the Register or an authorised user from the Register [See rule 65].	1000	GI-6
6B.	On application for leave to intervene in proceedings relating to the rectification of the Register or for the removal of a geographical indication or an authorised user from the Register [See rule 67 and 80(4)].	500	GI-6
7A.	On request for certificate of Registrar [other than a certificate under section 69 or Section 78(1); rule 96].	300 in case of GI application 150 in case of authorised user application	GI-7
7B.	Affidavit in support of statement of case or other documents required under the Act or rules.	Nil	GI-7
7C.	On request for entry in the Register and advertisement of a note of certificate of validity of the Appellate Board [See rule 99].	200	GI-7
7D.	On application for review of Registrar's decision.	500	GI-7
7E.	On request to Registrar for particulars of advertisement of a geographical indication.	100	GI-7
7F.	On request to Registrar for a duplicate or further copy of certificate.	200 in case of GI application 40 in case of authorised user application	GI-7
8A.	Application for registration of a geographical indication agent [See rule 107].	1000	GI-8
8B.	On request for issuance of certificate as geographical indications agent [See rule 109].	1000	GI-8
8C.	For continuance of the name of a person in the Register of geographical indication agent under rule 110. (i) For every year (excluding the first year) to be paid on 1st April in each year. (ii) For the first year to be paid along with the fee for registration, in the case of a person registered at any time	1000	GI-8

COMPLIANCE CALENDAR.IN
Simplifying Legalities & Fostering Governance

	between the 1st April, and 30th September. **Note:** Year for this purpose shall commence on the 1st day of April and end on the 31st day of March following.		
8D.	On application for restoration of the name of a person to the Register of Geographical Indications under rule 113.	1000 plus continuance fee under entry No.8C	GI-8
9A.	On application to Registrar for additional protection to certain goods [See section 22(2), rule 77].	12000	GI-9
9B.	On application for leave to add or alter a registered geographical indication [except where the application is made by any or of a public authority or in consequence of a statutory requirement [See section 29].	300	GI-9
9C.	On application for extension of time not being a time expressly provided in the Act or prescribed by the rules [See rule 83].	300	GI-9
10A.	On application for cancellation of an entry in the Register or to strike out goods. [See section 28(c) or (d)].	300	GI-10
10B.	Form of authorisation of agent in a matter or proceedings under the Act [See section 76; rule 20]	Nil	GI-10
11.	On petition (not otherwise charged) for obtaining the Registrar's order on any interlocutory matter in a contested proceeding.	500	
12.	For inspecting the document mentioned in section 78(1)- a. relating to any particular geographical indication or authorised user thereof for every hour or part thereof; b. computer search (when made available) for every 15 minutes; c. search of index mentioned in section 78 for every hour or part thereof.	100 100 100	
13.	For copying of documents (photocopy or typed) for every page or part thereof in excess of one page	10".	

[F.No. P-24027/1/2023-IPR-III]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 176(E), dated 8th March, 2002 and lastly amended vide G.S.R. 528 (E), dated 26th August 2020.

COMPLIANCE CALENDAR.IN®
Simplifying Legalities & Fostering Governance

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.11.07 15:53:08 +05'30'